न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2014/00360 (168/2014) 223 आरटीएक्ट

1. गुरमीत कौर धर्मपत्नी स्व श्री सुखपालसिंह पुत्र स्व0 श्री मेजर सिंह ।
2. मनप्रीत कौर पुत्री स्व श्री सुखपाल सिह पुत्र स्व0 श्री मेजरसिंह
3. गुरप्यार सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री मजर सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट्स/प्रतिवादी सं0 4 से 6

बनाम

1. गुरदीप सिंह
2. कुलविन्द्र सिंह
3. गुरमेल सिंह

} पुत्रगण स्व0 मेजरसिंह, जाति जटसिख, निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

रेस्पोडेण्ट/वादीगण

4. गुरलाल सिंह
5. अलबेल सिंह

} पुत्रगण स्व0 श्री मेजर सिंह जाति जटसिख, निवासीगण ढाबां, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण सं0 2 व 3

6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया,तहसील संगरिय, जिला हनुमानगढ। – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2011 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया, प्र. सं. 43/2011 बअनवानी गुरदीप सिंह बनाम मेजर सिह आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मनोज बेनीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्त रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांक –23.12.2019

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष अधिकारों की घोषणा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में प्रस्तुत किया। वाद पत्र में मेजरसिह के नाम दर्ज प्रश्नगत भूमि जद्दी जायदाद होने का कथन करते हुए जिसमे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व सुखपालसिंह पुत्र मेजरसिंह ही ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार होने सुखपालसिंह पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मेजर ने अपना समस्त हक व हिस्सा पूर्व में प्राप्त कर अपना खाता अलग कायम करवा लेने का कथन किया सुखपाल सिह पुत्र मेजरसिंह फौत होने व उसके वारिसान द्वारा अपना समस्त हक़ व हिस्से का परित्याग वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में करने एवं उनका कोई हिस्सा नहीं होने का कथन किया। वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित अनुसार भूमि के खातेदारी की घोषणा करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जवाब दावा पेश किया वाद वादीगण डिक्री करने में कोई आपत्ति नही होने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जिसस व्यथित हाकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 6 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष रेस्पोडेण्ट के रजिस्टर्ड सम्मन भेजे गये लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही आया लिहाजा इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है, अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 6 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने स्व0 मेजर सिंह से मिलीभगत कर स्व0 सुखपाल सिंह क वारिस अपीलाण्ट्स को उनके 1/7 हिस्से से वंचित कर दिया है। अपीलाण्ट को वादपत्र के सम्मन नहीं मिले। रेस्पोडेण्ट ने अपने हितबद्ध एवं अपने खेत में काम करने वाले श्रमिकों से मिलीभगत करके उनके रूबरू चस्पांदगी की कार्यवाही षड़यंत्रपूर्वक एवं छिपे तौर पर करवाये हैं अपीलाण्ट ने कभी भी सम्मन लेने से इंकार नहीं किया। सुखपाल सिंह ने कभी भी अपना 1/7 हिस्सा नहीं लिया रेस्पोडेण्ट ने वाद में मिथ्या कथन किये हैं। अधीनस्थ न्यायलय ने सुखपाल सिंह के हिस्से की कोई जांच नहीं की। सुखपाल सिंह के फौत होने पर उसके हिस्से से उसको वंचित करना चाहा तो अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 234/2007 प्रस्तुत किया इस वादपत्र में मेजर सिह ने जानबूझकर जववाब दावा प्रस्तुत नही किया और दूसरी और अपीलाण्ट को इस भूमि से वंचित करने के लिए अपने पुत्रों रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 की और से पृथक से राजस्व वाद संख्या 43/2011 प्रस्तुत करवा कर इस वाद पत्र में मिथ्यों आधारों पर इकबालदावा प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। इस निर्णय एवं डिक्री को मजर सिंह ने अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 237/2007 में भी अपने जीवनकाल तक प्रकट नही किया। एक ही कृषि भूमि के सम्बन्ध में समानान्तर दो दावे विचारित नही हो सकते। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पश्चात्वर्ती होने के कारण प्रथमतः तो स्थगित होने योग्य था द्वितीयतः अपीलांट के वादपत्र संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

234/2007 के साथ समेंकित होने योग्य था। गुणावगुण पर विचार नही किया गया ना ही साक्ष्य का विवेचन किया। स्वर्गीय मेजर सिंह के दिनांक 19.08.2014 को देहान्त होने पर अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 12.09.2014 को विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही करने पर पटवारी हल्का से ज्ञान हुआ कि स्व0 मेजरसिंह की समस्त भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम लग चुकी है। इस पर अपीलाण्ट द्वारा पड़ताल करने पर अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान हुआ । अपीलाण्ट संख्या 1 विधवा औरतजात है तथा अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 अल्प आयु के कारण अपील प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं खर्चा की व्यवस्था कर यह अपील ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है देरी माफ करते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2007 पेज 141, आरआरडी 2003 पेज 504, आरआरडी 2010 पेज 647, आरआरडी 2010 पेज 24 डबल बैंच के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने कथन कियाकि सुखपाल सिह को उसका हक हिस्सा दे दिया गया था। उसका अब इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को सम्मन भेजे गये थे जो लेने से इंकार करने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। निर्णय सहमति से हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के आधार पर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें मेजरसिह के नाम दर्ज प्रश्नगत भूमि जद्दी जायदाद होने का कथन करते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व सुखपालसिंह पुत्र मेजरसिंह ही ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार होने सुखपालसिंह पुत्र मेजर ने अपना समस्त हक व हिस्सा पूर्व में प्राप्त कर अपना खाता अलग कायम करवा लेने का कथन किया सुखपला सिह पुत्र मेजरसिंह फौत होने वउसके वारिसान द्वाराअपना समस्त हक व हिस्से का परित्याग वादीगण व प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सं0 2 व 3 के पक्ष में करने एवं उनका कोई हिस्सा नहीं होने का कथन किया। वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित अनुसार भूमि के खातेदारी की घोषणा करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वाद पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही होने का कथन करने पर वाद वादी स्वीकार किया गया। अपीलाण्ट वादपत्र में बतौर रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ता 6 संयोजित हैं, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

9. **अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट्स का यह कथन था कि सुखपाल सिंह ने अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया है लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि सुखपाल सिंह ने अपना 1/7 हिस्सा प्राप्त कर लिया हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मिथ्या आधारों पर बिना साक्ष्यों के पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने अपील में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलाण्ट्स के पति/पिता सुखपाल सिंह ने अपना हिस्सा त्याग दिया हो। दो पक्ष आपसी सहमति के आधार पर किसी तीसरे पक्ष का हक हिस्सा बिना किसी साक्ष्य प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।**

10. अपील में अपीलाण्ट का यह भी कथन आया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने इसी भूमि में सुखपाल सिंह के हक हिस्से के संदर्भ में एक वाद संख्या 234/2007 बअनवानी मनप्रीत कौर बनाम मेजरसिंह प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें वादी मेजर सिंह दिनांक 10.03.2008 को उपस्थित आ चुका था। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी मेजर सिह को इस वाद का ज्ञान रहा है और दूसरे वाद संख्या 43/2011 में उसके द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित था। इस प्रकार मेजर सिह दोनों वाद में उपस्थित रहा है। उसे दोनों वाद के विचाराधीन होने का ज्ञान रहा है। जब एक ही भूमि के सम्बन्ध में दो वाद हों तो पश्चात्वर्ती वाद को या तो स्थगित किया जाना चाहिये था या पूर्ववर्ती वाद के साथ कन्सोलीडेट किया जाना चाहिए था।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट मनप्रीत कौर एवं गुरप्यार सिंह के सम्मन संलग्न है जिन पर अंकित है कि आबाद मकान पर चस्पा करने की टिप्पणी अंकित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में चस्पांदगी से तामील कराने के आदेश नहीं दिये गये हैं। आरबीजे (14) 2007 पेज 141 में यह अभिनिर्धारित है कि आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के अनुसार चस्पांदगी से तामील के लिए पीठासीन अधिकारी की पूर्वानुमति लेनी होती है और आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के प्रावधानों का पालन करना अपेक्षित होती है जिसका इस प्रकरण में अभाव पाया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

12. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को प्रकरण में सुनवाई हेतु समुचित अवसर नही दिया गया है एवं सम्मन की विधिवत रूप से तामील नही हुए हैं एवं उनके पिता/पति सुखपाल सिंह के हक हिस्से से महरूम कर दिया है, साथ ही प्रकरण में पूर्व में ही एक वाद विचाराधीन होते हुए नया वाद प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की गई है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि पूर्व में विचाराधीन वाद संख्या 234/2007 बअनवानी मनप्रीत कौर बनाम मेजरसिंह के साथ समेंकित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2011 किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस वाद को पूर्व में विचाराधीन वाद संख्या 234/2007 बअनवानी मनप्रीत कौर बनाम मेजरसिंह के साथ समेंकित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उपभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

14. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 12:47:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: